न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस

मु0माल स0 150/2013

1–मनजीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
–प्रार्थी

बनाम

1–गुरदेवसिंह पुत्र तेल वलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–राजवीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3–किरणदीपकौर पुत्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955

उपस्थितिः–1–श्री मोहनलाल माहर एडवोकेट–प्रार्थी

2–श्री भजनलाल टाक एडवोकेट –अप्रार्थीस01

:–आदेश–: दिनांकः–3 जनवरी,2014

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार से है कि चक 17 जैड के मु0न012 के 6.325 हैक्टयर रकबा दर्ज कागजात प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी के दादा तेजबलवन्तसिंह की मृत्यु उपरान्त विरासतन नामान्तरण स0 211 दिनांक 20–6–2009 से प्राप्त हुई। विवादित आराजी जददी जायदाद है,जिसमे प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार बनता है। प्रार्थी 1/4हिस्से में काबिज है। अतः उपरोक्त विवादास्पद भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखते हुए अप्रार्थी स01 को पाबन्द किया जावे कि वाद के निपटारे तक विवादित आराजी को किसी प्रकार से रहन–बैय व अन्यकिसी प्रकार से मुन्तकिल न करें। उक्त प्रार्थनापत्र वाद के साथ प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स01 की और से श्री भजनलाल टाक एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थी स02–3 उपस्थित नहीं आये और ना ही नोटिस बाद तामील प्राप्त हुऐ।

दिनांक 1–1–2014 को प्रार्थी एंव अप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि भूमि अप्रार्थी स01 के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी स01 प्रार्थी का पिता है। अप्रार्थी स01 के वकील को अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने में कोई आपति नहीं हैं।प्रार्थी का जददी जायदाद होने के कारण उसका हिस्सा हैं इसलिए प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं अतः मूल वाद के निर्णय

– cont (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

तक अप्रार्थी भूमि का रहन–वैय नहीं करें तथा रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्बत सम्बत 2065–68चक 17 जैड के मु0न012 की 6.3250हैक्टयर भूमि तेजबलवन्तसिंह के नाम से हैं और जमाबन्दी में आगे अंकित हैं कि ना0न0211 विरासतन दस्तबदारी 20–6–09(तेज बलवन्तसिंह फौत)गुरदेवसिंह पुत्र तेजबलवन्तसिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी स01गुरदेवसिंह के नाम हैं। अप्रार्थी स01 के वकील को अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने में कोई आपति नहीं है। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी स01रिकार्डड खातेदार को कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का कितना हिस्सा किस तरह बनता हैं यह मूल वाद में तैय किया जायेगा। अतः उक्त विवादास्पद भूमि को अप्रार्थी स01 किसी प्रकार से रहन बैय नहीं करेंगा तथा रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम कर मूल वाद के साथ शामिल रहें।

आदेश सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर